

1098

R-171  
12-2-21

संख्या- 131 / 43-2-2021

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-20 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग को, ऐसे जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध, जिनके द्वारा किसी आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी, अथवा जानबूझकर गलत, अधूरी अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी है, अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का अधिकार दिया गया है।

2— आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की समयबद्ध वसूली के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम-15(4) व 15(5) में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:-


15(4) “आयोग द्वारा पारित आदेश के अनुपालनार्थ सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी से शास्ति की धनराशि की वसूली सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएंगी।”

15(5) “रजिस्ट्रार ऐसे प्रत्येक मामले, जिसमें आयोग ने किसी जन सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की है, के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी रहेगा, जब तक अनुपालन आख्या न प्राप्त हो जाए।”

3— इस विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में उ०प्र० सूचना आयोग द्वारा विभिन्न जन सूचना अधिकारीगण पर अधिनियम की धारा-20 के तहत अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:-800/43-2-2015-15/2(3)/07टीसी-3, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को विखण्डित करते हुए निम्नवत् व्यवस्था स्थापित की जाती है:-

(1) उ०प्र० सूचना आयोग द्वारा किसी शिकायत/अपील का विनिश्चय करते हुए यदि किसी जन सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा-20 के उपबन्धों के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो आयोग के रजिस्ट्रार द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपण आदेश को उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 में दिए गए प्रारूप-17 पर जन सूचना अधिकारी के नियंत्रक प्राधिकारी को इस आशय से प्रेषित किया जाएगा कि वह संबंधित जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की वसूली सुनिश्चित करें और अर्थदण्ड की धनराशि को नियत दिनांक तक निम्न लेखा शीर्षक में जमा कराएं:-

“0070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—60—अन्य सेवायें—800—अन्य प्राप्तियाँ—15—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अधिरोपित शास्तियाँ”



24-2-21  
राम मुख्यमंत्री  
11/02/2021

(2) प्रत्येक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का यह दायित्व होगा कि वह अपने विभाग के किसी जन सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की दशा में उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की धनराशि वसूली कराएं। इसी प्रकार प्रत्येक विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित विभाग के किसी जन सूचना अधिकारी पर आयोग द्वारा अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की दशा में उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की वसूली कराएं। इसी प्रकार प्रत्येक मण्डलायुक्त एवं प्रत्येक जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके मण्डल अथवा उनके जनपद में नियुक्त किसी जन सूचना अधिकारी पर यदि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तो वह अर्थदण्ड की वसूली उक्त जन सूचना अधिकारी के वेतन से कराएं। अर्थदण्ड वसूली के उपरान्त संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या आयोग के रजिस्ट्रार को अविलम्ब प्रेषित की जाएगी।

(3) उ०प्र० सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड से सम्बन्धित विभागवार सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक माह के अन्त में अपलोड की जाएगी। आयोग की वेबसाइट से आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की सूचना सीधे प्राप्त कर उससे सम्बन्धित अनुश्रवण का कार्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा शासन स्तर पर तथा विभागाध्यक्ष द्वारा विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रत्येक माह सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) उ०प्र० सूचना आयोग के स्तर पर अर्थदण्ड की वसूली के अनुश्रवण से सम्बन्धित कार्य सचिव, उ०प्र० सूचना आयोग द्वारा स्वयं अपने स्तर पर नियत समय में सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे मामले जिनमें वसूली नहीं हो पाई है, इन वसूली के मामलों के सम्बन्ध में सचिव, उ०प्र० सूचना आयोग द्वारा सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। अर्थदण्ड की वसूली का उत्तरदायित्व सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का ही होगा।

(5) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में संचिव, उ०प्र० सूचना आयोग द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को ऐसे प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी जिन प्रकरणों पर सतत अनुश्रवण किए जाने के पश्चात् भी अनुपालन आख्या नहीं प्राप्त हुई है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उन प्रकरणों से सम्बन्धित विभागों को शास्ति की वसूली हेतु निर्देश प्रेषित किए जाएँगे।

भवदीय,

/  
( जितेन्द्र कुमार )  
प्रमुख सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सचिव, उ०प्र० सूचना आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,  
Shiv  
(डा० शील अस्थाना)  
उप सचिव।